



राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सिरोही



क्रमांक: /मअ/साथिन चयन/2022-23/419

दिनांक 12/6/2022

प्रोग्रामर,  
निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान सरकार,  
जयपुर ।

विषय:- इस कार्यालय द्वारा साथिन भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2022  
दिनांक 03.06.2022 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा साथिन भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2022 दिनांक 03.06.2022 को जारी गई है जिसको अभी तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये जाने से इस सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा इस कार्यालय को बार-बार सम्पर्क किया जा रहा है। अतः उक्त विज्ञप्ति तथा साथिन चयन के सम्बन्ध में जारी नवीनतम सर्कुलर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अंकिता राजपुरोहित)  
सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग,  
सिरोही



राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सिरोही

ई-मेल : [sirohi.we@rajasthan.gov.in](mailto:sirohi.we@rajasthan.gov.in)

क्रमांक म.अ./साथिन चयन/2022/392

दिनांक : 3/6/2022

विज्ञप्ति संख्या : 1/2022

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	सिरोही	आमलारी, बरलूट, भूतगांव, हालीवाडा, मेरमण्डवाडा, फुंगणी, सनपुर,
2	शिवगंज	अरठवाडा, जेतपुरा, कैलाशनगर, कलदरी, नारादरा, वाण
3	पिण्डवाडा	काला महादेव खेडा, पानिया, वालोरिया,
4	रेवदर	दांतराई, धाण, हरनी अमरापुरा, जीरावल, जोलपुर, मकावल, निम्बज, पामेरा, पीथापुरा, सनवाडा, वरमाण
5	आबूरोड	आंवल, भैसासिंह, दोयतरा, खडात, क्यारिया, मूंगथला, सांतपुर, वासडा

- साथिन पद के लिए आवेदनकर्ता महिला सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मूल निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए नियमानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आवेदनकर्ता महिला का साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है विशेष परिस्थिति में 8वीं उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकेगा।
- साथिन पद हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग 21-35 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 21-40 वर्ष, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र इस कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाईट [WWW.Wcd.rajasthan.gov.in](http://WWW.Wcd.rajasthan.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।
- चयन परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र (2 प्रतियों में) आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ इस कार्यालय में दिनांक 06.07.2022 को सांय 5.00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक के माध्यम से जमा करा सकेगी।
- इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सिरोही के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(अंकिता राजपुरोहित)

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग,  
सिरोही

क्रमांक म.अ./साथिन चयन/2022/292-402

दिनांक : 31/6/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरौही।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिरौही।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही/शिवगंज/पिण्डवाडा/रेवदर/आबूरोड को भेजकर निवेदन है कि रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 अगस्त, 2022 को ग्राम सभा के आयोजन बाबत आदेश नियमानुसार विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में जारी करने का श्रम करावे तथा साथिन चयन को दिनांक 15 अगस्त, 2022 की ग्राम सभा के एजेण्डा में शामिल करवाये।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त जिला सिरौही।
5. प्रचेता/सुपरवाइजर महिला अधिकारिता ब्लॉक समस्त को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
6. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ~~समस्त~~..... को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित है।
7. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
8. संपादक दैनिक भास्कर सिरौही को भेजकर निवेदन है कि जिले के संस्करण में DIPR की दरों पर न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करें।
9. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, कार्यालय हाजा, ब्लॉक/पंचायत समिति में चस्पा हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(अंकिता राजपुरोहित)  
सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग,  
सिरौही